फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आमेट जिला राजसमंद

प्रकरण : संख्याः– 39/2021 शीर्षकः– प्यारा बनाम गणेश

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/सूचना नं.
20.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता मनोहर लाल खटीक ने अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वाद तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बाघपुरा पटवार हल्का गलवा, तहसील आमेट जिला राजसमंद में स्थित खाता संख्या नया 92 व पुराना 74 के आराजी नम्बर 300, 301, 302, 326, 327, 328, 329 कुल किता 07 रकबा 0.6100 हैक्टेयर में वादी का 1/5 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 15 के संयुक्त खातेदारी की भूमि होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है उक्त वर्णित भूमिया संयुक्त शामलाती भूमिया है, जिनका विधिवत विभाजन नहीं हो रखा है, इसलिए वादी अपने हिस्से की भूमियों का उपयोग उपभोग अपने हिसाब से नहीं कर पा रहा है न ही उक्त भूमि का विकास कर पा रहा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 15 तक के मध्य अब संयुक्त रूप से काश्त करना सम्भव नहीं रहा है एवं संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग करना भी सम्भव नहीं रहा है भूमियां संयुक्त खाते में होने से भूमियों का सही ढंग से विकास भी नहीं हो पा रहा है लगान जमा कराने में भी परेशानी होती है। वादी को उक्त भूमि में अपने हक, हिस्से की भूमि का विकास करने मे परेशानी हो रही है, इसलिए उक्त वर्णित कृषि भूमियों का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार नियमानुसार विभाजन कराया जाना एवं अलग अलग विभाजन अनुसार खाते अंकित कराया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है, जिसके लिए यह वाद पेश है। उक्त वर्णित भूमिया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 15 के संयुक्त खातेदारी के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है प्रतिवादी संख्या 01 से 15 वादी को धमकी दे रहे है कि वह उक्त भूमियो का बिना विभाजन कराये ही किस्म परिवर्तन करवा कर अपनी इच्छानुसार अच्छी भूमियों को अन्य व्यक्ति को विकय कर कब्जा सिपूर्द कर देगें, इसलिए यह वादी के लिए नितान्त आवश्यक हो गया है कि जब तक उक्त वादग्रस्त भूमियों का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 15 के मध्य विधिवत रूप से मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन नहीं हो जावे तब तक प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण उक्त वर्णित भूमि का किसी अन्य के पक्ष में विकय, हस्तान्तरण, बय, बक्षीस आदि नहीं करे किस्म परिवर्तन नही करावे, वादी के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, रूकावट, हस्तक्षेप नहीं करे, मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। यह कार्य न तो स्वंय करे एवं न ही अपने किसी नोकर, एजेन्ट, कारीगर, मजदुरी आदि स ही करावे एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही फरमाई गई तो प्रतिवादीगण मन–माफिक भूमि को विक्रय कर देगें, जिससे मुकदमेबाजी बढेगी तथा वादी को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ में किया जाना सम्भव नही होगा। उक्त वर्णित कृषि भूमि के खातेदार भगवान पुत्र कासु का निधन हो गया है, जिनके वारिशान को इस वाद में पक्षकार बनाया जाकर प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6, 7 बनाया गया है तथा मिठू पत्नी उदा का निधन हो गया है, जिनके वारिशान प्रतिवादी संख्या 1, 8, 13 एवं 14 है तथा इसी प्रकार मोहनी पत्नी अमरा का निधन हो गया है जिनके वारिशान प्रतिवादी संख्या 2, 10, 11 एवं 12 है। वाद हेतुक दिनांक 14.07.2021 को जब प्रतिवादीगण को अपने हक, हिस्से की भूमि का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार कराने हेतु कहा, लेकिन प्रतिवादीगण आनाकानी करने लगे एवं संयुक्त शामलाती भूमि को बिना विभाजन कराये ही अन्य व्यक्ति को विक्रय, हस्तान्तरण कराने की धमकी देने पर उत्पन्न होकर लगातार जारी है। अतः माफिक वाद पत्र अनुसार प्रारम्भिक डिक्री के आदेश प्रदान किये जावें।

दिनांक 12.01.2024 को न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार सरदारगढ द्वारा पक्षकारन के मध्य राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल अजमेर) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए पक्षकारन के मध्य हुए समझौते अनुसार विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसे शामिल फाईल किया गया। दिनांक 09.07.2024 को वादी अधिवक्ता ने कुर्रेजात प्रस्ताव पर आपत्ति की जिससे कुर्रेजात प्रस्ताव पर आपत्ति प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया गया एवं विभाजन प्रस्ताव का सम्पूर्ण नक्शा ट्रेस पेश करने हेतु लिखा गया। उक्त आदेश की पालना मे तहसीलदार सरदारगढ द्वारा नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की। दिनांक 29.10.2024 को वादी अधिवक्ता ने पुनः कुर्रेजात प्रस्ताव पर आपत्ति की जिससे कुर्रेजात प्रस्ताव पर आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया एवं वादी को प्रत्येक आराजी नम्बर मे से हिस्से मुताबिक भूमि दी जाकर विभाजन प्रस्ताव पेश करने हेतु लिखा गया। दिनांक 25.03.2025 को तहसीलदार सरदारगढ द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव पेश किया। भूमिधारी द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल अजमेर) नियम, 1955 के नियमों की पालना करते हुए विभाजन किया हैं जो मेरी राय में उचित हैं। वादी अधिवक्ता की बहस का मनन करने, दस्तावेजात, प्रस्तुत कुर्रेजात प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से जाहिर हैं कि कुर्रेजात प्रस्ताव में पक्षकारन के जमाबन्दी में हिस्से के अनुरूप भूमि आवंटित की गई हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण को यथासंभव काम्पेक्ट व एकल भू–भाग आवंटित किया गया हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण को आवंटित भू–भाग पर पहुँचने हेतु रास्ता भी प्रदान किया गया हैं। अतः अंतिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 का स्वीकार किया जाता हैं। राजस्व ग्राम बाघपुरा पटवार हल्का गलवा, तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद में स्थित खाता संख्या नया 92 व पुराना 74 के आराजी नम्बर 300, 301, 302, 326, 327, 328, 329 कुल

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट

किता 07 रकबा 0.6100 हैक्टेयर भूमि का पक्षकारन के मध्य निम्नानुसार विभाजन करने की आज्ञा दी जाती हैं।

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
प्यारा पुत्र कासु नायक सा.देह खातेदार रहन इण्डियन बेंक सरदारगढ	300/1 301/1 302/1 326/1 327/1 328/1 329/1	0.0140 0.0180 0.0180 0.0160 0.0180 0.0180 0.0200
योग	**07**	**0.1220**
भगवान पुत्र कासु 1/16 भागीरथ गणेश शंकर भागुबाई सुन्दरी पिता उदा 25/96 रहन S.B.I. आमेट मिठूबाई पत्नी उदा 5/93 रहन S.B.I. आमेट नाना सोहन पिता गंगाराम 5/16 भेरूलाल अणछी देवी अम्बा देवी गीता देवी संगीता पिता लेहरू 5/96 मोहनीबाई शंकरी पत्नी लेहरू 1/96 रामचन्द्र राधी टमु पिता अमरा 3/16 मोवनी पत्नी अमरा 1/16 नायक सा.देह खातेदार	300 301 302 326 327 328 329	0.0560 0.0720 0.0720 0.0640 0.0720 0.0720 0.0800
योग	**07**	**0.4880**

उपरोक्त हिस्सेनुसार राजस्व अभिलेख में पक्षकारान् के पृथक–पृथक अंकन करने हेतु मय विभाजन प्रस्ताव के तहसीलदार आमेट को लिखा जावें। डिक्री पर्चा अलग से कायम किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(गोविंद सिंह)
सहायक कलक्टर आमेट
जिला राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट, जिला राजसमन्द

संख्यांक नं0 1

मूल वाद में अंतिम डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) आमेट
जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविंद सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 39 / 2021
किस्म :– वाद
दायर दिनांक : 26.07.2021 **निर्णय दिनांक** : 20.05.2025

उनवान

वादीपक्ष :–

1. प्यारा पुत्र कासु जाति नायक निवासी बाघपुरा तहसील आमेट जिला राजमसंद

प्रतिवादी पक्ष :–

1. गणेश पुत्र उदा जाति नायक निवासी बाघपुरा तहसील आमेट जिला राजसमंद
2. टमु पुत्री अमरा जाति नायक पत्नी रामेश्वर नायक निवासी बाघपुरा हाल निवासी आजणखेडा तहसील फतहनगर जिला उदयपुर
3. नाना पुत्र गंगाराम जाति नायक निवासी बाघपुरा तहसील आमेट जिला राजसमंद
4. शिवलाल पुत्र भगवान जाति नायक निवासी बाघपुरा तहसील आमेट जिला राजसमंद
5. सोसर पत्नी भगवान जाति नायक निवासी बाघपुरा तहसील आमेट जिला राजसमंद
6. पारसी पुत्री भगवान जाति नायक पत्नी रामलाल नायक निवासी बाघपुरा हाल निवासी काबरी तहसील आमेट जिला राजमसंद
7. श्यामु पुत्री भगवान जाति नायक पत्नी गोकल नायक निवासी बाघपुरा हाल निवासी डोडीया की पीपली तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
8. भागुबाई पुत्री उदा जाति नायक पत्नी नन्नालाल नायक निवासी बाघपुरा हाल जीता तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
9. भागीरथ पुत्र उदा जाति नायक निवासी बाघपुरा तहसील आमेट जिला राजमसंद
10. राधी पुत्री अमरा जाति नायक पत्नी लेहरूलाल निवासी बाघपुरा हाल निवासी दगोलिया का खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
11. रामचन्द्र पुत्र अमरा जाति नायक निवासी बाघपुरा तहसील आमेट जिला राजसमंद
12. लेहरू पुत्र अमरा जाति नायक निवासी बाघपुरा तहसील आमेट जिला राजसमंद
13. शंकर पुत्र उदा जाति नायक निवासी बाघपुरा तहसील आमेट जिला राजसमंद
14. सुन्दरी पुत्री उदा जाति नायक पत्नी किशनलाल नायक निवासी बाघपुरा हाल निवासी खण्डेल तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
15. सोहन पुत्र गंगाराम जाति नायक निवासी बाघपुरा तहसील आमेट जिला राजमसंद
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमंद

दावा :– वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से :– **अधिवक्ता मनोहरलाल खटीक**
प्रतिवादी संख्या 01,03,04,05,07,09,11,12,13,15 की ओर से :– **अधिवक्ता धर्मेश शर्मा**
प्रतिवादी संख्या 02,06,08,10,14 :– **एकपक्षीय**

मे इस आशय में दिनांक 26.03.2025 **की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि** वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 का स्वीकार किया जाता है एवं पक्षकारान् के मध्य राजस्व ग्राम बाघपुरा पटवार हल्का गलवा, तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद में स्थित खाता संख्या नया 92 व पुराना 74 के आराजी नम्बर 300, 301, 302, 326, 327, 328, 329 कुल किता 07 रकबा 0.6100 हैक्टेयर भूमि का निम्नानुसार विभाजन करने की आज्ञा दी जाती है।

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
प्यारा पुत्र कासु नायक सा.देह खातेदार रहन इण्डियन बेंक सरदारगढ	300/1	0.0140
	301/1	0.0180
	302/1	0.0180
	326/1	0.0160
	327/1	0.0180
	328/1	0.0180
	329/1	0.0200
योग	**07**	**0.1220**
भगवान पुत्र कासु 1/16	300	0.0560
भागीरथ गणेश शंकर भागुबाई सुन्दरी पिता उदा 25/96 रहन S.B.I. आमेट	301	0.0720
मिठूबाई पत्नी उदा 5/93 रहन S.B.I. आमेट	302	0.0720
नाना सोहन पिता गंगाराम 5/16	326	0.0640
भेरूलाल अणछी देवी अम्बा देवी गीता देवी संगीता पिता लेहरू 5/96	327	0.0720
मोहनीबाई शंकरी पत्नी लेहरू 1/96	328	0.0720
रामचन्द्र राधी टमु पिता अमरा 3/16	329	0.0800
मोवनी पत्नी अमरा 1/16 नायक सा.देह खातेदार		
योग	**07**	**0.4880**

उपरोक्त हिस्सेनुसार राजस्व अभिलेख में पक्षकारान् के पृथक–पृथक अंकन करने हेतु मय विभाजन प्रस्ताव के तहसीलदार आमेट को लिखा जावें।

आज दिनांक को 20.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

(गोविंद सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट